संख्या– 870/71–1–2014–जी–283/2011

प्रेषक,

शैलेन्द्र नाथ शुक्ल,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 7 मार्च, 2014

विषयः–वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 के राजकीय विभागों क नर्सिंग संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 में राजकीय विभागों के नर्सिंग संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2059/दस–54(एम)/2008टी0सी0, दिनॉक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा लिए गए निर्णयों के कम में राज्यपाल महोदय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में उपलब्ध नर्सिंग संवर्ग के विभिन्न पदों पर संलग्न तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित वर्तमान पदनाम तथा स्तम्भ–3 के अनुसार दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर स्तम्भ–4 के अनुसार पदनामित करने एवं स्तम्भ–5 के अनुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) अनुमन्य कराने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त प्रस्तर के अनुसार विभिन्न पदों पर अनुमन्य संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 तथा समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों की व्यवस्थानुसार दिनॉक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर निर्धारित करते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान दिनॉक 01 दिसम्बर, 2008 से किया जायेगा।

3– उपर्युक्तानुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन के फलस्वरूप प्रभावित कर्मचारी/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59(एम)/2008, दिनॉक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना के संबंध में दिए गए विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

4– चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नर्सिंग सवंर्ग के पदों के सृजन से संबंधित समय–समय पर निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नर्सिंग संवर्ग के पदों पर अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग संवर्ग के पदों के अनुरूप होगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–वे0आ0–1–193/दस–2014, दिनॉक 07 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

S.O. G.O. New

संख्या– 1979(1)/71–1–2014 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3– प्रधानाचार्य, समस्त मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़ एवं सहारनपुर।
5– नियोजन अनुभाग–4
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
8– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2
9– संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

S.O. G.O. New

शासनादेश संख्या– 897/71–1–2014–जी–283/2011
दिनॉक 7 मार्च, 2014

क0	वर्तमान पदनाम	वर्तमान वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रूपए में	परिवर्तित पदनाम	संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) रूपए में
1	2	3	4	5
1	स्टाफ नर्स	5000–8000 9300–34800 (वे0बै0–2 एवं 4200)	स्टाफ नर्स	7450–11500 9300–34800 (वे0बै0–2 एवं 4600)
2.	सिस्टर	5500–9000 9300–34800 (वे0बै0–2 एवं 4200)	नर्सिंग सिस्टर	7500–12000 9300–34800 (वे0बै0–2 एवं 4800)
3.	असिस्टेण्ट नर्सिंग सुपरीन्टेन्डेन्ट	6500–10500 9300–34800 (वे0बै0–2 एवं 4200)	असिस्टेण्ट नर्सिंग सुपरीन्टेन्डेन्ट	8000–13500 15600–39100 (वे0बै0–3 एवं 5400)
4.	डिप्टी नर्सिंग सुपरीन्टेन्डेन्ट	7500–12000 9300–34800 (वे0बै0–2 एवं 4200)	डिप्टी नर्सिंग सुपरीन्टेन्डेन्ट	8000–13500 15600–39100 (वे0बै0–3 एवं 5400)
5.	नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	8000–13500 15600–39100 (वे0बै0–3 एवं 5400)	नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	10000–15200 15600–39100 (वे0बै0–3 एवं 6600)

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव